GOVERNMENT OF INDIA /भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS /रेल मंत्रालय
(Railway Board /रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/245
No.PC-V/2009/ACP/2

RBE No. 6/2011
New Delhi, dated 12 -01-2011

140-RB
18 JAN 2011
North Western Railway, JAIPUR
उत्तर - पश्चिम रेलवे, जयपुर

The General Managers
All Zonal Railways & PUs,
(As per mailing list)

Sub:-Entitlement of Pass facilities under MACPS-Clarification reg.

Ref: - Board's letter of even number dated 10-06-2009.

The issue regarding the entitlement of privilege and other passes in case of employees who have been granted financial upgradation under the MACP Scheme has been under consideration.

2. In terms of Para 16 of Annexure of Board's letter referred to above, financial upgradation under the MACP Scheme is personal to the incumbent and entitles the employee to certain benefits which are linked to the pay drawn by the employee. Hence, the benefit of Passes/PTOs corresponding to the next higher Grade Pay granted under the MACP Scheme will be available to the employee. It is also reiterated that the grant of financial upgradation under the MACP Scheme does not entail any change in the designation, classification and status of an employee. Accordingly, the benefits related to higher status inherent in the higher Pay Band and / or Grade Pay is not available to such an employee who has been granted higher Grade Pay under the MACP Scheme.

3. This issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

No. PC-V/2009/ACP/2

New Delhi dated. 12-01-2011

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी–VI/245
सं. पीसी–V/2009/एसीपी/2

आरबीई सं. 6/2011
नई दिल्ली, दिनांकः 12 -01-2011

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)।

विषयः– आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत पास सुविधाओं की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः– बोर्ड का दिनांक 10.06.2009 का समसंख्यक पत्र।

उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिया गया है, सुविधा तथा अन्य पासों की पात्रता से संबंधित मुद्दा विचाराधीन है।

2- बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के अनुबंध के पैरा 16 के अनुसार, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन पदधारी के लिए व्यक्तिगत है तथा इससे कर्मचारी कतिपय ऐसे लाभों के लिए पात्र होगा जो कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले वेतन से जुड़े हैं। अतः कर्मचारी को आशोधित सुनिश्चित कैरियिर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई अगले उच्चतर ग्रेड पे के तदनुरूपी पास/पी.टी.ओ के लाभ उपलब्ध होंगे। यह भी दोहराया जा रहा है कि आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने से उक्त कर्मचारी के पदनाम, वर्गीकरण तथा ओहदे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तदनुसार, उस कर्मचारी को उच्चतर पे बैंड तथा/अथवा ग्रेड पे में अंतर्निहित उच्चतर ओहदे से संबद्ध लाभ उपलब्ध नहीं होंगे। जिसे आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अंतर्गत उच्चतर ग्रेड पे प्रदान किया गया है।

3- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन.पी.सिंह)
उप निदेशक,वेतन आयोग–5
रेलवे बोर्ड